दिनाक 26.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा नाबालिग से छेडछाड करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 25.02.2025 को वादी द्वारा थाना सदर बाजार पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त निखिल कुमार उर्फ बुटु पुत्र मदन निवासी उमरपुर थाना जलालाबाद जनपद शामली द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ घर मे घुसकर छेडछाड करने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 98/25 धारा 333/76/64 बीएनएस एंव 3/4 व 7/8 पोक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतू दिशा-निर्देश दिये गये । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेत्तृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने के वांछित अभियुक्त **निखिल कुमार उर्फ बुटु पुत्र मदन निवासी उमर पुर थाना जलालाबाद जनपद शामली** को बस अड्डा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

निखिल कुमार उर्फ बुटु पुत्र मदन निवासी उमर पुर थाना जलालाबाद जनपद शामली

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 जहांगीर थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. है0का0 518 हरेन्द्र थाना सदर बाजार सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 26.02.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 गौकश /अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से गौकशी करने के उपकरण एंव 01 जिन्दा गौवंश

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण,गौकशी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.02.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा गश्त/चैकिंग के दौरान 02 शातिर गौकश अभियुक्तगण **1. अनवर पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर 2. सौमी उर्फ उस्मान पुत्र यामीन निवासी ग्राम कासपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को ग्राम कासमपुर के जंगल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से गौकशी करने के उपकरण एंव 01 जिन्दा गौवंश बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 27/2025 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने बताया कि मैं व मेरा साथी जंगल में घूम रहे अवारा पशुओं को पकड़कर मार देते हैं व मांस एंव अवशेषों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. अनवर पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर
2. सौमी उर्फ उस्मान पुत्र यामीन निवासी ग्राम कासपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 कुल्हाड़ी
- 02 दाव लोहे के
- 04 छूरी
- 04 रस्सी
- 01 लकडी का गुटका
- 01 जिंदा गोवंश

गिरफ्तार अभियुक्त अनवर का आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0स0 96/24 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2.मु0अ0स0 278/18 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त सौमी का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 140/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सतेन्द्र शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 461 धर्म सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3.हेका0 847 धर्मेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4.का0 1365 मंजीत कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांकः 26.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 गुमशुदा बच्ची को सकुशल परिजनो को सुपुर्द किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एंव गुमशुदा बच्चों के लिये चलाये जा रहे "**आपरेशन मुस्कान**" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.02.2025 को थाना नानौता पुलिस टीम को एक 07 वर्ष की बच्ची कस्बा नानौता मे रामलीला चौक के पास मिली। थाना नानौता पुलिस द्वारा बच्ची से उसके परिजनों के बारे में जानकारी का प्राप्त कर मात्र 01 घण्टे में बच्ची को उसेक परिजनो को सुपुर्द किया गया।

पुलिस टीम का विवरण-

1. श्री सचिन पूनिया थानाध्यक्ष थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. म0है0का0 82 जूली थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांकः 26.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये 4250/- रूपये नगद बरामद।

अवगत कराना है कि दिनाँक 17.02.2025 को वादी असलम पुत्र महमूद निवासी पटना उर्फ नया बांस थाना चिलकाना जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त शाकिब द्वारा वादी के मकान में घुसकर अलमारी का गेट व ताले तोडकर 46000/- व 01 जोडी सोने की बालिया व 01 जोडी चाँदीं की पाजेब आदि सामान व नगदी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 38/2025 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.02.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी के वांछित **अभियुक्त शाकिब पुत्र असलम निवासी पटना उर्फ नयाबास थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को ग्राम कालूमाजरा से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से 4250/- रूपये बरामद किये गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की वृध्दि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूध्द अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त नें बताया कि दिनांक 17.02.2025 को शाम को मेरे पडोसी अपने बच्चो के साथ कही बाहर गये हुये थे, उनके मकान में कोई भी नही था। उसी रात मै मौके का फायदा उठाकर घर मे घुस गया और मैने अलमारी का लॉक तोडकर 46,000 रूपये चोरी कर लिये थे। जिनमें से मैने कुछ पैसे खर्च कर दिये और बाकी 4250/- रूपये पुलिस द्वारा मुझसे बरामद किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

शाकिब पुत्र असलम निवासी ग्राम पटना उर्फ नयाबांस थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

अभियुक्त शाकिब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0सं0 026/24 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

2. मु0अ0सं0 342/24 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

3- मु0अ0सं0 38/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

4- मु0अ0सं0 175/22 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 4250/- रूपये नगद बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नांम –

1- उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

2. है0का 400 कर्णवीर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

3. है0का0 236 जाबिर अली थाना चिलकाना जनपद सहानपुर

4. हो0गा0 1855 कुलभूषण शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर